-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्वता/03–(एक)/2015/1016
दिनांक : 06.05.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
मजिदुन निसा गर्ल्स डिग्री कालेज,
कोपागंज, मऊ।

विषय :महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यकम में सम्बद्वता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के कम में दिनांक–12 मार्च, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की आपात कालीन बैठक के कार्यसूची संख्या–01 (ग) पर लिये गये निर्णय के आलोक में मजिदुन निसा गर्ल्स डिग्री कालेज, कोपागंज, मऊ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत **बी0एड0 पाठ्यकम** में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2014–15 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक–01.07.2015 से शैक्षिक सत्र 2015–16 हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्वता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है:–

1. शैक्षिक सत्र 2014–15 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न होने की स्थिति में तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तो के पूर्ण होने पर सत्र 2015–16 के सम्बद्वता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्वता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक–01.07.2015 से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किये जायेगें।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यकम में शासन/एन.सी.टी.ई. जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आबंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जॉच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जॉच हेतु प्रेषित पत्र दिनांक–19 मार्च, 2015 की जॉच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्वता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्वता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन निधि एल0आई0सी0 बिल्डिंग,अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302005 (राजस्थान)
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

प्रबन्धक
मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कालेज
कोपागंज-मऊ